संख्या:854/2023/2608/35-4-2023/35-4099/1/2023

प्रेषक,

जे0एल0यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हाथरस।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 12 अक्टूबर, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के क्रम में जनपद- हाथरस में राजकीय पॉलीटेक्निक, लोधीपुर पटटी, देवरी, सिकन्दराराऊ, हाथरस के भवन निर्माण कार्य की वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश सं0-29/2020/340/35-4-2020 दिनांक 04 मार्च, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अनुमोदित लागत रू0 1991.48 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-164/2021/1517/35-4-2021 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 795.74 लाख एवं शासनादेश सं0-65/2023/1763/35-4-2023/001-35-4099/1/2023 दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 497.87 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक-601/त्व 0आ0 वि0/रा0 पॉली0/2023-24, दिनांक 04.10.2023 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक का उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में अवशेष रू0 497.87 लाख (रूपये चार करोड़ सत्तानबे लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रूपये में)

कार्य का नाम	**लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
राजकीय पॉलीटेक्निक, लोधीपुर पटटी, देवरी, सिकन्दराराऊ, हाथरस का भवन निर्माण कार्य	1991.48	1493.61	497.87

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2020 व दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 एवं दिनांक 06 फरवरी, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी ।

4- कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी ।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत् यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या:10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,97,87,000 (रूपये चार करोड़ सत्तानबे लाख सत्तासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 024202104030302 राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/ बी-1-227 / दस- 2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या - 10 /2023 / बी-1- 602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जे0एल0यादव)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या:854/2023/2608/35-4-2023/35-4099/1/2023 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
5- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर उ0प्र0।
9- प्रबन्ध निदेशक यू०पी०सिडको, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस।
11- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, हाथरस।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हाथरस।
14- प्र0 अधीक्षण अभियन्ता, यू०पी० स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, एकतानगर, अलीगढ़।
15- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रान्सफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।